

Date: 05/03/2021

सेवा में,
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजीपुर (उ०प्र०)

Subject: Compliance Report of EDS Letter regarding Forest diversion Proposal No. FP/UP/RAIL/44309/2020.

Ref: EDS letter no. पत्रांक- 1893/11-सी- FP/UP/RAIL/44309/2020 लखनऊ, दिनांक: फरवरी 03, 2021

Dear Sir,

With reference to above mentioned Subject, we have received the EDS vide above cited letter regarding Forest Diversion Proposal "Protected forest land to be diverted for Doubling of Existing Railway Track from (Km No.- 1.000 to 125.000) Bhatni - Aunrihar Railway line in Forest Division -Deoria (From Km. 1.000 to 28.226), Forest Division - Ballia (Km. 28.226 to 52.952 in Ballia district), Forest Division - Mau (Km. 52.952 to 81.874 in Mau district) and Forest Division - Ghazipur (Km. 81.874 to 125.000 in Ghazipur district), Uttar Pradesh".

We have incorporated all the comments and uploaded the required document on MoEFCC Web portal for your reference and further processing please.

Point Wise Compliance Report:

Point No.	EDS Observation by Forest Department	Reply by User Agency
देवरिया वन प्रभाग:-		
1.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है, किन्तु स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा- (a) व (b) में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उल्लंघन किये जाने का उल्लेख है, जबकि अन्य अभिलेखों में उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख है, जोकि विरोधाभास है। अतः सही स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट डिलिट कर संशोधित स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करें।	देवरिया वन प्रभाग कार्यालय से सम्बंधित।
2.	प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक-343/11-सी, दिनांक 14.08.2020 के क्रम में वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	देवरिया वन प्रभाग कार्यालय से सम्बंधित।
3.	लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में गाजीपुर व देवरिया वन प्रभाग का हरियाली घनत्व गलत अंकित है तथा देवरिया वन प्रभाग से सम्बन्धित एन०पी०वी० की दर से लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धी प्रमाण पत्र में संशोधन कर सम्बंधित कार्यालय देवरिया वन प्रभाग को उपलब्ध करवा दिया गया है।
4.	इको क्लास के अनुसार एन०पी०वी० की गणना संलग्न है, किन्तु ऑनलाइन भाग-2 में कटिंग की प्रति अपलोड है। अतः प्रस्ताव के अनुसार संलग्न एन०पी०वी० की गणना ऑनलाइन अपलोड करें।	देवरिया वन प्रभाग कार्यालय से सम्बंधित।
5.	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-3 में डाटा फीड नहीं किया गया है।	देवरिया वन प्रभाग कार्यालय से सम्बंधित।
6.	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-15 में पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट को डिलिट कर उपरोक्त बिन्दु-1 के अनुसार संशोधित स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन भाग-2	देवरिया वन प्रभाग कार्यालय से सम्बंधित।


Manager/Civil
RVNL/BSB

	के क्रमांक-15 में अपलोड करें।	
बलिया वन प्रभाग:-		
1.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है, किन्तु स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा- (a) व (b) में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उल्लंघन किये जाने का उल्लेख है, जबकि अन्य अभिलेखों में उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख है, जोकि विरोधाभास है। अतः सही स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग-2 से पूर्व का स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट डिलिट कर संशोधित स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करें।	बलिया वन प्रभाग कार्यालय से सम्बन्धित।
2.	लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में गाजीपुर व देवरिया वन प्रभाग का हरियाली घनत्व गलत अंकित है तथा देवरिया वन प्रभाग से सम्बन्धित एन0पी0वी0 की दर भी गलत अंकित किया गया है। अतः सही हरियाली घनत्व अंकित कर तदनुसार संशोधित एन0पी0वी0 की दर से लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धी प्रमाण पत्र में संशोधन कर सम्बन्धित कार्यालय बलिया वन प्रभाग को उपलब्ध करवा दिया गया है।
3.	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-3 में डाटा फीड नहीं किया गया है।	बलिया वन प्रभाग कार्यालय से सम्बन्धित।
4.	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-15 में पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट को डिलिट कर उपरोक्त बिन्दु-1 के अनुसार संशोधित स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-15 में अपलोड करें।	बलिया वन प्रभाग कार्यालय से सम्बन्धित।
मऊ वन प्रभाग:-		
1.	लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में गाजीपुर व देवरिया वन प्रभाग का हरियाली घनत्व गलत अंकित है तथा देवरिया वन प्रभाग से सम्बन्धित एन0पी0वी0 की दर से लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धी प्रमाण पत्र में संशोधन कर सम्बन्धित कार्यालय मऊ वन प्रभाग को उपलब्ध करवा दिया गया है।
2.	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-3 में डाटा फीड नहीं किया गया है।	मऊ वन प्रभाग कार्यालय से सम्बन्धित।
गाजीपुर वन प्रभाग:-		
1.	प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के पत्रांक-1428/11-सी, दिनांक 16.12.2020 के क्रम में DSS Analysis से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र, जो वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं किया गया है।	गाजीपुर वन प्रभाग कार्यालय से सम्बन्धित।
2.	लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में गाजीपुर व देवरिया वन प्रभाग का हरियाली घनत्व गलत अंकित है तथा देवरिया वन प्रभाग से सम्बन्धित एन0पी0वी0 की दर भी गलत अंकित किया गया है। अतः सही हरियाली घनत्व अंकित कर तदनुसार संशोधित एन0पी0वी0 की दर से लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव में संलग्न करें तथा पूर्व का त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र डिलिट कर संशोधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करें।	लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धी प्रमाण पत्र में संशोधन कर सम्बन्धित कार्यालय गाजीपुर वन प्रभाग को उपलब्ध करवा दिया गया है।

Place: Varanasi
Date: 05.03.2021

Signature of User Agency
Office Seal
Manager/Civil
RNL/BSB